

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक \_\_\_\_\_

पटना, दिनांक \_\_\_\_\_

ग्रा0वि0-6-बजट/05-03/2017

प्रेषक,

राधाकिशोर झा,  
विशेष सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार, पटना ।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष -2017-18 में मांग संख्या 42 के तहत एन0आर0एल0पी0/ आजीविका योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में समेकित रूप से विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹0 2507.34 लाख (पच्चीस करोड़ सात लाख चौतीस हजार) में से जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना मद के लिए कर्णांकित राशि ₹0 526.54 लाख (पाँच करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार) के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में एन0आर0एल0एम0 योजना के केन्द्रांश के जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना मद में बजट उपबंधित राशि ₹0 9684.20 लाख (छियानवे करोड़ चौरासी लाख बीस हजार) में से उपलब्ध राशि से केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान मद में 526.54 लाख (पाँच करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार) का वर्तमान वित्तीय वर्ष -2017-18 में आवंटन के संबंध में ।

**प्रसंग :-** विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 314001 दिनांक- 16.06.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- J-12014/01/2017/-RL(NRLP\_18) दिनांक- 18.12.2017 के द्वारा एन0आर0एल0पी0/ आजीविका योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में समेकित रूप से विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹0 2507.34 लाख (पच्चीस करोड़ सात लाख चौतीस हजार) में से जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना मद के लिए कर्णांकित राशि ₹0 526.54 लाख (पाँच करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार) का आवंटन किया जाना है ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में एन0आर0एल0एम0 योजना के लिए केन्द्रांश के रूप में जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना मद में बजट उपबंधित राशि ₹0 9244.20 लाख (बेरानवे करोड़ चौवालीस लाख बीस हजार) के अंतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 314001 दिनांक- 16.06.2017 द्वारा राशि ₹0 9244.20 लाख (बेरानवे करोड़ चौवालीस लाख बीस हजार) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है । पुनः विभागीय पत्रांक 350689 दिनांक 29.01.2018 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से राशि ₹0 440.00 लाख (चार करोड़ घालीस लाख) का अतिरिक्त बजट उपबंध किया गया है । इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2017-18 में केन्द्रांश के जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना मद में संशोधित बजट उपबंधित राशि ₹0 9684.20 लाख (छियानवे करोड़ चौरासी लाख बीस हजार) है ।

अतएव भारत सरकार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 314001 दिनांक- 16.06.2017 द्वारा स्वीकृत राशि में से उपलब्ध राशि से जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना मद में राशि रू0 526.54 लाख (पाँच करोड़ छब्बीस लाख चौवन हजार) केन्द्रांश के रूप में सहायक अनुदान मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष- 2017-18 में आवंटित किया जाता है ।

2. राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 314001 दिनांक- 16.06.2017 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।
3. स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष- 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम लघुशीर्ष- 796 ,जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष-0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0) योजना विपत्र कोड- 42- 2501067960202 विस्तृत शीर्ष- 31-सहायक अनुदान, विषय शीर्ष 06 - गैर वेतन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है ।
4. ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक- 3873 दिनांक- 12.04.2006 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में वित्त विभागीय परिपत्र सं0- 2561वि0(2) दिनांक- 17.04.1998 की कंडिका-2 में निहित प्रावधानों को प्रभावहीन किया गया है । वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 5294 दिनांक- 17.06.2015 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों के अंतर्गत राशि व्यय की जायेगी ।
5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।
6. विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर Bihar Rural Livelihoods Promotion Society, BRLPS-SRLM, Canara Bank, Account No.- 8531101010676, IFSC Code- CNRB0008531, Vidhyut Bhawan, Bailey Road, Patna, Bihar में जमा कर देंगे ।
7. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना इस राशि की निकासी कर संबंधित परियोजना पर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को उपलब्ध करायेंगे ।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधाकिशोर झा)

विशेष सचिव

आपांक \_\_\_\_\_ पटना, दिनांक \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

विशेष सचिव

जापांक \_\_\_\_\_ पटना, दिनांक \_\_\_\_\_

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


ह0/-

विशेष सचिव

जापांक 136073 पटना, दिनांक 15.02.2018

प्रतिलिपि- श्री अनिता बघेल, निदेशक (आर0एल0) ग्रामीण विकास मंत्रालय, छठवीं मंजिल समाट होटल, चाणक्यपुरी नई दिल्ली-110021/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक, बी0आर0एल0पी0एस0, विद्युत भवन, पटना / आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु)/ प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
विशेष सचिव  
दिनांक